राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1474/2007/जयपुर

मैसर्स बालाजी एंटरप्राईजेज,
जवाहर सदन, चाँदपोल बाजार,
जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन वृत्त–जयपुर जोन द्वितीय
जयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के. जैन
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 4/871/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2000–01/जेपीएफ में पारित आदेश दिनांक 13.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–जयपुर जोन द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(7)(एफ), 58 व 65 के अन्तर्गत पारित आदेश वर्ष 1998–1999 दिनांक 22.01.2001 के जरिये आरोपित मांग राशि कर रूपये 16,910/–, शास्ति रूपये 33,820/– व ब्याज रूपये 8,117/– को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टैंकर संख्या आर0एस0जी0–2601 मै0 बालाजी एंटरप्राइजेज, चाँदपोल बाजार, जयपुर द्वारा जारी बिल क्रमांक 125 दिनांक 11.01.1999 सोयाबीन तेल की जांच हेतु व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया वे लेखा पुस्तकों की जांच की गयी। अपीलार्थी ने रूपये 4,22,750/– का कर योग्य सोयाबीन तेल जो बिल संख्या 125 दिनांक 11.01.1999 के द्वारा बिक्री की है जिसका इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है अतः उक्त बिक्री को करापवंचित बिक्री मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 16,910/–, धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 33,820/– व धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 8,117/– आरोपित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग राशियों को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के अ0प्र0 ने अभिकथन किया कि दिनांक 11.01.1999 को टैंकर संख्या आर0एस0जी–2601 जिसके द्वारा सोयाबीन तेल मै0 बालाजी एंटरप्राईजेज, चाँदपोल बाजार, जयपुर द्वारा बिक्री किया गया। उक्त बिल की जांच वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त जयपुर जोन द्वितीय, जयपुर द्वारा की गयी एवं जमा खर्च नहीं पाया जाना बतलाया जबकि लेखा पुस्तकों में जमा खर्च किया हुआ था। अपीलार्थी का बिल नं. 125 दिनांक 11.01.1999 द्वारा सोयाबीन तेल रूपये 11,875/– कि0ग्रा0 कीमतन रूपये 4,22,750/– विक्रय किया गया एवं 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 16,910/– वसूल किया जाना बिल में अंकित किया। अतः आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. विभागीय प्रतिनिधि ने अभिकथन किया कि वक्त सर्वेक्षण दिनांक 13.01.1999 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त जयपुर जोन द्वितीय, जयपुर ने अपीलार्थी के बिल नंबर 125 दिनांक 11.01.1999 का जमा खर्च अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में चैक करने पर नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त बिल से सोयाबीन तेल की बिक्री रूपये 4,22,750/– का करापवंचन किया जाना प्रमाणित होता है। अतः आरोपित कर, शास्ति व ब्याज विधिसम्मत है। अपील खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं कर निर्धारण पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन किया गया, जिससे पाया कि अपीलार्थी ने टैंकर संख्या आर0एस0जी–2601 में सोयाबीन तेल वनज 11,875/– कि0ग्रा0 भरकर कीमतन रूपये 4,22,750/– का विक्रय बिल क्रमांक 125 दिनांक 11.01.1999 द्वारा मै0 गोविन्द ऑयल मिल, गंगापुर सिटी को किया है। अभियोग पत्रावली के पेज संख्या 8 व 9 पर श्री देवकीनंदन खण्डेलवाल मालिक मै0 बालाजी एंटरप्राईजेज, चाँदपोल बाजार, जयपुर के बयान है। जो निम्न प्रकार है :– कि आज दिनांक 13.01.1999 को आप मेरी फर्म पर वास्ते जांच आये। आप मेरी फर्म पर इस फर्म द्वारा टैंकर सं0 आर0एस0जी0–2601 द्वारा दिनांक 11.01.1999 को विक्रय किये गये सोयाबीन तेल की जांच के संबंध में आये तो मैने फर्म की नियमित लेखा पुस्तकें वास्ते जांच आपको प्रस्तुत की।

चालू वर्ष में बिक्री की बिल बुक संख्या एक रखी जाती है जो क्रं0सं0 101 से प्रारम्भ की गई है। प्रथम बिल दिनांक 06.04.1998 को जारी किया गया है जो चारों प्रतियों में मौजूद है तथा निरस्त किया गया है। अंतिम जारी बिल सं0 124 दिनांक 31.10.1998 का है जो मै. हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, गाजियाबाद के नाम कीमतन रूपये 5,59,880.40/– का जारी किया गया है। इस बिल पर आप द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इसके बाद बिल बुक में बिल क्र0 125 से क्र0 152 तक चारों प्रतियों में सजिल्द बिल बुक में खाली लगे है। दिनांक 31.10.1998 के पश्चात वक्त जांच तक हमारी नियमित

लगातार.....3

बिल बुक से कोई भी बिल, टैंकर सं0 आर0जी0एस0जी0–2601 का गंगापुर, राजस्थान हेतु जारी नहीं किया गया है।

चालू वर्ष की आज तक की खरीद की विगत मैंने आपको पृथक से तैयार कर प्रस्तुत कर दी है। चालू वर्ष के खाता पाना 3 जिस पर सेलटैक्स अलग का खाता रखा है पर आपने हस्ताक्षर किये। खाता पाना 4 एस0टी0पी तेल खरीद खाता पर आपने हस्ताक्षर कियें। जमा बही पृष्ठ 2 पर आपने हस्ताक्षर किये।

चालू वर्ष के स्टॉक रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि दिनांक 01.04.1998 को हमारा स्टॉक शून्य था एवं स्टॉक रजिस्टर वक्त जांच तक दिनांक 11.01.1999 तक लिखा है जिसके अनुसार दिनांक 11.01.1999 को प्रारम्भिक स्टॉक शून्य है। स्टॉक रजिस्टर दिनांक 11.01.1999 खरीद शून्य, स्टॉक शून्य व बिक्री शून्य पर अपने हस्ताक्षर किये।

दिनांक 11.01.1999, 12.01.1999, 13.01.1999 की वक्त जांच तक कोई खरीद नहीं की गई है और दर्ज बयान पढ़कर हस्ताक्षर किये।

6. उक्त बयानों से स्पष्ट है कि दिनांक 11.01.1999 को स्टॉक रजिस्टर में प्रारम्भिक स्टॉक शून्य, खरीद शून्य व बिक्री शून्य तथा स्टॉक शून्य है जिस पर निर्धारण अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं तथा बिल नंबर 125 की चारों प्रतियां भी खाली पायी गयी। बिल नंबर 125 दिनांक 11.01.1999 की फोटोप्रति अभियोग पत्रावली के पेज संख्या 37 व 38 पर उपलब्ध बिल नंबर 118 व 119 की फोटोप्रति पर एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे जाहिर है कि यह बिल अपीलार्थी द्वारा ही करापवंचन की नियत से अन्य किसी बिल बुक द्वारा जारी किए गए हैं। इससे जाहिर है कि यह बिल अपीलार्थी द्वारा ही करापवंचन की नियत से अन्य किसी बिल बुक द्वारा जारी किया गया है जो नियमित बिल बुक के अतिरिक्त है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा बिल नंबर 125 दिनांक 11.01.1999 के द्वारा की गयी बिक्री रूपये 4,22,750/– जिसमें 4 प्रतिशत की दर से कर रूपय16,910/– वसूल किया गया है, इस प्रकार कुल बिक्री रूपये 4,39,660/– होती है का जमा खर्च वक्त सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी ने नहीं पाया जिससे करापवंचन किया जाना प्रमाणित होता है। अभियोग पत्रावली के पेज संख्या 79 पर अपीलार्थी के खाते की फोटोप्रति उपलब्ध है जो कर योग्य खाते की है। दिनांक 13.01.1999 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार अभियोग पत्रावली के पेज संख्या 80 पर अपीलार्थी के कर चुका खाता की फोटोप्रति उपलब्ध है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ये ही फोटोप्रतियां अपीलार्थी ने अपील मेमोरेण्डम के साथ भी प्रस्तुत की हैं। इनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जांच किये जाने तक जमा खर्च किया जाना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी के व्यापार स्थल पर जांच करने पर पाया था कि बिल संख्या 125 की चारों प्रतियॉ खाली पायी गई थी,

लगातार.....4

तो अपीलार्थी ने जो बिल संख्या 125 प्रस्तुत किया है वह किसी अन्य बिल बुक से जारी किया जाना प्रमाणित होता है, और करापवंचना की नियत से अपीलार्थी ने दोहरी बिल बुक का उपयोग किया है। जहॉ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का एस.बी. पिटीशन संख्या 29/2004 निर्णय दिनांक 01.08.2007 का उल्लेख किया है कि उक्त निर्णय द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध आरोपित धारा 78(5) की शास्ति को अपास्त किया गया है इसलिए हस्तगत प्रकरण में कोई करापवंचन सिद्ध नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 78(5) की शास्ति पर निर्णय दिया है जो एक पृथक विधिक बिन्दु पर निर्णय है उसका हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी के सर्वेक्षण के पश्चात् बनाये गये अभियोग का धारा 29(7), 58 एवं 65 से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से भिन्न प्रकरण है अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया जाता है। अतः अपीलार्थी पर आरोपित कर रूपये 16,910/- , धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 8,117/- एवं धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 33,820/- करापवंचन प्रमाणित होने के कारण यथावत रखे जाते हैं एवं अपीलार्थी अपील की खारिज की जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

2/2/18

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य